हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक 28.08.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए *04 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये (कुल चार लाख रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2005 में थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम निडौरी में अभियुक्तगण द्वारा व्यक्ति के साथ मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देना एवं उपचार के दौरान व्यक्ति (फैज मौहम्मद) की मृत्यु हो जाना। जिसमें थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 103 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 27.08.2024 को ***सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये (कुल चार लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित*** कराया गया।

कार्यवाहीः-

थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2005 धारा 302, 34 भादवि बनाम 04 अभियुक्तगण मामले में मा0 न्यायालय ADJ FTC द्वितीय गाजियाबाद का निर्णय।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. रहीस पुत्र असगर निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
2. गुलजार पुत्र मुराद निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
3. इस्तेखार पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
4. रिफाकत पुत्र मुराद निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।